

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

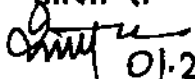
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 374 /2021 दिनांक : 1.2.2021

श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II को दिनांक 15.01.2021 से 16.01.2021 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 17.01.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिन्दल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

01.2.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/69/2008/904

दिनांक : 01.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 260 दिनांक 18.01.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती अनिता सिन्दल (RJ0612), अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
4. अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर महानगर-II
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार